न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 17/2020 (2020/00059)

तारीख दायरा–08.02.2020
तारीख निर्णय–27.01.2021

1. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी दौलतराम मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री उमला पिता चमना मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
2. श्री गणेशलाल पिता केशा ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
3. चित्रा पिता हरीशचन्द्र मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
4. श्री मांगीलाल पिता परथा मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
5. श्री हेमराज पिता परथा मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
6. श्री भगवानलाल पिता परथा मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
7. रेखा पिता परथा मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
8. लालीबाई पिता परथा मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
9. श्रीमती प्रताबीबाई पत्नी परथा मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
10. श्री गोविन्द पिता धुला मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
11. श्री मोहन पिता धुला मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
12. श्री भमरू पिता धुला मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
13. श्रीमती धुलकी पत्नी धुला मेघवाल उम्र वयस्क निवासी ओबरा खुर्द तहसील गोगुन्दा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री खुमाणसिंह राव
अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा ओबरा खुर्द पटवार सर्कल ओबराकलां तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 260 में के आराजी संख्या 3423 रकबा 0.0550 है0 भुमि स्थित है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के पास में विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 2428, 3288, 3424, 3422 स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि पास–पास होने से सीमा बंदी के [illegible] दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीया के खातेदारी [illegible] अति[illegible] कर नुकसान पहुंचाते है, जिस बाबत् प्रार्थी ने कई बार सीमा [illegible] विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी को नहीं मानकर आये दिन सीमा क्षेत्र के [illegible] को फेंक देते है। प्रा[illegible] विपक्षीगण के मध्य सीमाओं पर पूर्ण नपती के पश्चात [illegible]थरगढी कराया जाना [illegible] आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:36 IST
Reason: SelfAttested

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

साहब गोगुन्दा के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण बावजुद सुचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजियात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी नही किये जाने बाबत् तथ्य प्रस्तुत नही किया है, जबकि बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा ओबरा खुर्द पटवार सर्कल ओबराकलां तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 260 में के आराजी संख्या 3423 रकबा 0.0550 है0 भूमि का उभय पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:36 IST
Reason: SelfAttested